न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस)

प्रकरण संख्या 27/2024

बउनवान

जानकीलाल पुत्र जयलाल जाति मोग्या ग्राम कोटड़ी तहसील अन्ता जिला बारां (अपीलांट)

बनाम

1. पुरन पुत्र गणेश जाति खटीक, निवासी दिगोद तह0 दीगोद जिला कोटा
2. किशन पुत्र गणेश जाति खटीक, निवासी दिगोद तह0 दीगोद जिला कोटा
3. हेमराज पुत्र गणेश जाति खटीक, निवासी दिगोद तह0 दीगोद जिला कोटा
4. मीना पुत्री गणेश जाति खटीक, निवासी दिगोद तह0 दीगोद जिला कोटा
5. रामजानकी पत्नी गणेश जाति खटीक, निवासी दिगोद तह0 दीगोद जिला कोटा
6. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता जिला बारां (रेस्पोंडेंट्स)

अपील बनाराजगी आदेश न्याया. तहसीलदार अन्ता बउनवान प्रकरण पुरन वगैरह बनाम जानकीलाल, प्रार्थना पत्र 10/23 तारीख फैसला 26.12.2023 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0टी0ए0

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री अशोक कुमार मीणा अभिभाषक (रेस्पोडेंट्स)

निर्णय दिनांक 24.07.2024

अपीलांट द्वारा तहसीलदार अन्ता के आदेश दिनांक 26.12.2023 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्व रेस्पोडेंट्स अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व मिसल के विरूद्व होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया मात्र कयास के आधार पर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि रेस्पो. के पिता गणेश द्वारा आवंटन की शर्तो का भी पालन नहीं किया तथा आवंटन दिनांक से आज तक आवंटित आराजी पर कभी काश्त नहीं की। अपीलांट ने उक्त आराजी को चार लाख रूपये खर्च करके कृषि योग्य बनाया अपीलांट से पूर्व उसके पिता उक्त आराजी को काश्त करते थे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2023 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को ज़र्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेंटगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण हेतु प्रकरण नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस वकील रेस्पोडेन्ट की सुनकर गणावगुण के आधार पर अपील का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेंट्स ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स ग्राम सोरसन की आराजी खसरा नंबर 250/18[illegible] के खातेदार तथा काबिज काश्त हैं। वर्ष 2020 में रेस्पोडेन्ट्स ने अपने पिता [illegible] उक्त आराजी 2 वर्ष [illegible] काश्त के लिये अपीलांट को 6000/– रूपये प्रतिवर्ष प्रतिबीघा की दर से देकर मुनाफा राशि अपीलांट से प्राप्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.23 10:19:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

ली थी। वर्ष 2022 में रेस्पोडेन्ट्स के पिता का देहान्त होने से अपीलांट के मन में बेईमानी आ जाने तथा कब्जा नहीं छोड़ने तथा मुनाफा राशि भी अदा नहीं करने पर रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.ए. पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2023 से रेस्पोडेन्ट्स को कब्जा दिलवाये जाने के आदेश प्रदान किये। अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जबकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अभिभाषक उपस्थित रहा है। रेस्पोडेन्ट्स के खातेदारी की उक्त आराजी पर कब्जा करने की नियत से अपीलांट ने असत्य तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अपील इस आधार पर पेश की गई है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। जबकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में जर्ये अभिभाषक उपस्थित रहा है।

जमाबंदी संवत 2075–78 से स्पष्ट है कि वाके ग्राम सोरसन की विवादित आराजी खसरा नंबर 250/1881 रकबा 1.67 है. रेस्पोडेन्ट्स के खातेदारी में दर्ज है। चूंकि अनुसूचित जनजाति के सदस्य की खातेदारी की भूमि पर अन्य किसी भी व्यक्ति का अवैध कब्जा होने से अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर0 टी0 एक्ट कार्यवाही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट, जो कि उस कार्यवाही में अप्रार्थी हैं, के विद्वान अधिवक्ता सुनवाई में जवाब के अंतिम अवसर तक अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं तथा उनके द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में नहीं की गई। अतः उनका यह आक्षेप कि उनको सुनवाई व साक्ष्य का मौका नहीं मिला अस्वीकार है। भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार "ग्राम सोरसन की खाता संख्या 72 में खसरा नंबर 250/1881 रकबा 1.67 है. भूमि खातेदार किशन, पूरन, प्रशान्त, विनित कुमार, हेमराज पुत्र गणेश, मीना पुत्री गणेश तथा रामजानकी पत्नि गणेश जाति खटीक सा0 देह के नाम खाते दर्ज है। उक्त भूमि गणेश पुत्र लटूर खटीक के नाम आवंटित हुई थी तथा खातेदार गणेश की मृत्यु होने के पश्चात विरासत के नामा0 से खातेदारान के नाम दर्ज हुई है। जानकीलाल उक्त भूमि को अपनी बताकर खातेदारों को मौके पर काश्त करने से रोकता है। चूंकि खातेदार प्रार्थीगण अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य हैं।" ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होना पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर, सुनाया गया।

(रोहितश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.08.23 10:19:33 IST
Reason: SelfAttested